

कार्यालय उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश
अनुसूचित जनजाति और वन्य परम्परागत वन निवासी
उपखण्ड स्तरीय सगिति, ऋषिकेश, देहरादून

उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून में ग्राम समा समिति में गिरधारी लाल फार्म से तुलान गाजरे तक (0-50 है० आरक्षित वन भूमि, 0.00 है० शिविल/समाज भूमि, 0.000 है० नाप भूमि) वन भूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील ऋषिकेश), ऋषिकेश की बैठक दिनांक 22/3/14 का कार्यवाही विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री संतोष कुमार पाण्डे उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | | |
|----|---|---|-------------|
| 1. | श्री संतोष कुमार पाण्डे, उपजिलाधिकारी, ऋषिकेश। | — | अध्यक्ष |
| 2. | श्री भरत सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून | — | सदस्य |
| 3. | श्री रसदहस मनवा , सहायक समाज कल्याण अधिकारी | — | सदस्य/सचिव। |
| 4. | श्री गीता जायसवाल , चौडौसी 0 क्षेत्र, निरदुबादे | — | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून में ग्राम समा रैनापुर में गिरधारी लाल फार्म से तुलान गाजरे तक (0-50 है० आरक्षित वन भूमि, 0.00 है० शिविल/समाज भूमि, 0.000 है० नाप भूमि) वन भूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम समा द्वारा सर्व समिति से पारित प्रस्ताव के आधार पर भूमि जनपद देहरादून में ग्राम समा रैनापुर में गिरधारी लाल फार्म से तुलान गाजरे तक मार्ग, सार्वजनिक उपयोग हेतु व्यापवर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम समा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति से उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून में ग्राम समा रैनापुर में गिरधारी लाल फार्म से तुलान गाजरे तक (0-50 है० आरक्षित वन भूमि, 0.00 है० शिविल/समाज भूमि, 0.000 है० नाप भूमि) वन भूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश, देहरादून को जगहित में व्यापवर्तन की सहमति प्रदान की गयी।

बैठक में सर्व समिति से उपखण्ड ऋषिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून में ग्राम समा रैनापुर में गिरधारी लाल फार्म से तुलान गाजरे तक (0-50 है० आरक्षित वन भूमि, 0.00 है० शिविल/समाज भूमि, 0.000 है० नाप भूमि) वन भूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश, देहरादून को जगहित में व्यापवर्तन की सहमति प्रदान की गयी।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-ऋषिकेश, उपखण्ड ऋषिकेश
देहरादून

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Geetha Jaiswal
गीता जायसवाल
नेत्र पंचायत सदस्य
रानीपेखरी ग्राम वि. नं. 008/009
देहरादून (उत्तराखण्ड)

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-ऋषिकेश, उपखण्ड ऋषिकेश
देहरादून

कार्यालय
ग्राम पंचायत लिस्ट्राबाद
तहसील-ऋषिकेश, जिला-देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला देहरादून, उत्तराखण्ड में अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु (0.50 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल/समाज भूमि, 0.000 है0 नाप भूमि) वन भूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लिस्ट्राबाद द्वारा ग्राम-स्मार्क/ग्राम पंचायत की बैठक में अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्वन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र वावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी कि फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0) 2006 के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है-अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम ~~पञ्च~~ द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम लिस्ट्राबाद के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश को दिये जाने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

ग्राम समा की सिफारिश पर फारेस्ट राईट एक्ट (एफ0आर0ए0) 2006 के अन्तर्गत विभाग द्वारा (0.50 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल/समाज भूमि, 0.000 है0 नाप भूमि) वन भूमि अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश को जनपद देहरादून में ग्राम समा ~~रैनपुर~~ गें गिरधारी लाल फार्म से तुडान गाजरे तक सड़क निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।
प्रमुख लिस्ट्राबाद खण्ड का निर्माण, फार्म 5 की सत्य प्रतिलिपि अंकित

B

ग्राम सचिव लिस्ट्राबाद

फार्म 5 की
ग्राम उपस्थाई

मौलाना सुखरत
स.जि.पंचायत समीपवर्ती ग्राम
सदस्य-जिला नियोजन समिति
देहरादून (उत्तराखण्ड)



FORM-I
For linear Projects
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun

No. 102/2014/Dehradun

Dated. 09/09/14..

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non&forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects, it is certified that 0.50 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Temp. Division P.W.D. Rishikesh (Name of User agency) for Constuction of Renapur Girdhari Lal Fram to Tudaan Majare into 2 lane Road (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of Renapur village(s) in Doiwala tehsils.

It is further certified that.

- a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.50 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all Consultation and meeting of the forest Rights Committee(s) Gram Sabha (s), sub-division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 annexure 2.
- b. the diversion of forest Land for facilities managed by the Government as required under section 3,(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- c. the proposal does not involve recognised right of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities.

Encl:- As above

र. ००२/२०१४/देहरादून
०९/०९/१४
अस्थाई खण्ड लैंगीनिदि
अधिकारी

— २८००६ —
अधिकाारी अभिलेखी. ०९.०९.१४
अस्थाई खण्ड लैंगीनिदि
अधिकारी

Signature: 
(Full name and official seal of the District Collector)

**OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT DEHRADUN. (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act. (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Chandresh Kumar I.A.S. deputy commissioner Dehradun on date 15.12.2014 at time 4.00 p.m. at Dehradun in which application claiming rights in Renapur in Girdhari Lal Fram to Tudan majare motor road area measuring 0.50 hect. For the construction of in Renapur in Girdhari Lal Fram to Tudan majare motor road (1.50 KM.) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Doiwala sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommended the above case for diversion of land for the said purpose.

Place - Dehradun.

Dated – 15.12.2014

District Level Committee


अध्यक्ष, जिला स्तरीय समिति
अनुसूचित जाति व अनुसूचित
जन जाति


अतिशायी अभियन्ता
अनुसूचित जाति व अनुसूचित
जन जाति


Deputy Commissioner cum-chairman
जिला स्तरीय समिति

FORM-I

(For Project other than linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Dehradun

No. 101/3.M. Dehradun

Dated. 09/09/14.

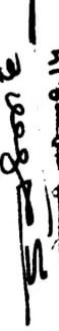
TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's Letter No 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF Issued guidelines on submission of evidences for having Initiated and Completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that 0.50 **hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Temp. Division P.W.D. Rishikesh (Name of User agency) for Renapur Girdhari Lal Fram to Tudaan Majare into 2 lane Road (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of Renapur village(s) in Doiwala tehsils.

It is further certified that.

- a. The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.50 **hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all Consultation and meeting of the forest Rights Committee(s) Gram Sabha (s), sub-division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 annexure 2
- b. the proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest-dwellers, who are eligible under the FRA,
- c. the each of concerned Gram Sabh(s), has certified that all formalities/prpceses under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Renapur villages.
- d. the discussion and decision on such proposal had taken place only when there was quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabhas have given their consent to it.
- e. the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Grama sabhas have given their consent to it.
- f. the rights of primitive Tribal Groups and pre-Agariculture Communities where application have been Specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl:- As above


District Collector
Dehradun


Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
District Collector
Dehradun

ग्राम पंचायत लिस्ट्राबाद

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
①	श्री डा० रवीन्द्र सिंह कुषाली	रवीन्द्र सिंह कुषाली
②	श्री राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
③	श्री कमिशा रावत	कमिशा
④	श्री दिग्विजय सिंह	दिग्विजय
⑤	श्री आनन्द सिंह	आनन्द
⑥	श्री प्रभात रावत	प्रभात
⑦	श्री मा० अनिल कुषाली	मा० अनिल कुषाली
⑧	श्री अरुण कुषाली	अरुण
⑨	बलवन्त रावत	बलवन्त
⑩	" न्याय सिंह नेगी	न्याय सिंह
⑪	" जात सिंह पुण्डरी	जात सिंह
⑫	" मुख्तार सिंह पुण्डरी	मुख्तार सिंह
⑬	" मदन सिंह कुमाई	मदन सिंह
⑭	" हुकम सिंह मनवाल	हुकम सिंह मनवाल
⑮	" वीरपाल सिंह कुषाली	वीरपाल सिंह
⑯	" सत्यवान सिंह	सत्यवान सिंह
⑰	" सैनपाल सिंह	सैनपाल सिंह
⑱	" हुकम सिंह	हुकम सिंह
⑲	" प्रभोद कुषाली	S.P. Singh
⑳	" भानू कुषाली	भानू कुषाली
㉑	" भरत सिंह कुषाली	भरत सिंह कुषाली
㉒	" रणजीत सिंह	रणजीत सिंह

ग्राम पंचायत लिस्ट्राबाद

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
23	श्री डिगम्बर सिंह कुषाली	<i>Disendhal</i>
24	" केदार सिंह "	मेदर सिंह
25	" देवपाल सिंह मनवाल	देवपाल सिंह
26	" रघुवीर सिंह "	रघुवीर सिंह
27	" संजय सिंह "	Sanjay Mandal
28	" मनजीत सिंह "	पद्मा देवपाल सिंह
29	" राजपाल सिंह "	राजपाल सिंह
30	" मंगल सिंह "	मंगल सिंह
31	" यशपाल सिंह "	<i>Yash Mandal</i>
32	" प्रताप सिंह "	प्रताप सिंह
33	" भरत सिंह "	भरत सिंह
34	" रीमेश चन्द्र रावत	रीमेश चन्द
35	" राजेन्द्र सिंह कुषाली	राजेन्द्र सिंह
36	" भवतार सिंह "	भवतार सिंह
37	" जगेन्द्र सिंह "	जगेन्द्र सिंह
38	" खेम सिंह "	खेम सिंह
39	" विक्रम सिंह "	विक्रम सिंह
40	" दयाल सिंह "	दयाल सिंह
41	" तेजपाल सिंह "	तेजपाल सिंह
42	" भरत सिंह मनवाल	भरत सिंह
43	श्रीमती राजपाला देवी वार्ड सुदस्य	श्रीमती राजपाला
44	भक्तार कुली उपप्राधान	भक्तार कुली

कार्यालय
ग्राम पंचायत लिस्ट्राबाद
तहसील-ऋषिकेश, जिला-देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला देहरादून, उत्तराखण्ड में अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु (०.६० है० आरक्षित वन भूमि, ०.०० है० सिविल/समाज भूमि, ०.००० है० नाप भूमि) वन भूमि का अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत लिस्ट्राबाद द्वारा ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, ऋषिकेश द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गयी कि फारेस्ट राइट एक्ट (एफ०आर०ए०) २००६ के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम लिस्ट्राबाद के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश को दिये जाने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिश पर फारेस्ट राइट एक्ट (एफ०आर०ए०) २००६ के अन्तर्गत विभाग द्वारा (०.६० है० आरक्षित वन भूमि, ०.०० है० सिविल/समाज भूमि, ०.००० है० नाप भूमि) वन भूमि अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश को जनपद देहरादून में ग्राम सभा में गिरधारी लाल फार्म से तुडान माजरे तक सड़क निर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।
ग्राम पंचायत लिस्ट्राबाद, प्लॉट नं० ५, ब्लॉक ५, तहसील लिस्ट्राबाद

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्रामवासियों लिस्ट्राबाद
विकास खण्ड-डोईवाला, दे०दून



सिद्धांत
ग्राम पंचायत लिस्ट्राबाद